कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 944 /एक–13–01/2013 रायपुर, दिनांक 04 नवम्बर 2024

इस कार्यालय आदेश 693 दिनांक 06.08.2024 में चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रतिक्षा सूची के शीर्ष में अंकित अभ्यर्थी को अध्यक्ष परीक्षा सेल/भर्ती एवं नियुक्ति समिति, रायपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर **स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)** के पद हेतु मासिक वेतन रूपये 26,490/– (एकमुश्त छब्बीस हजार चार सौ नब्बे रूपये प्रतिमाह) एवं **क्लर्क (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)** के पद हेतु मासिक वेतन रूपये 18,000/– (एकमुश्त अठ्ठारह हजार रूपये प्रतिमाह) पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन पूर्णतः **अस्थायी** रूप से **संविदा** पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम व पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4
1	**श्री वेद प्रकाश साहू,** पिता– श्री तिलक कुमार साहू, पता– सद्गुरू मेडिकल स्टोर्स, लखौली, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड– 491441	अनारक्षित (मुक्त)	स्टेनोग्राफर, (हिन्दी) (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)
2	**श्री विकास देवांगन,** पिता– श्री अश्वनी देवांगन, पता– संजय नगर, शिक्षक कॉलोनी, कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.) पिन कोड– 493663	अनारक्षित (मुक्त)	क्लर्क, (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)

–:नियुक्ति की शर्तें:–

1. नियुक्त कर्मचारियों को तत्परतापूर्वक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में वे शासकीय कार्य हेतु उपयुक्त नही पाये जाते हैं तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
2. नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षाणिक/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन पश्चात तुरंत लौटाया जावेगा तथा इस दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन व भत्ता देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति उपरांत पुलिस अनुप्रमाणन फार्म की पूर्ति कर शपथ पत्र सहित 03 प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पुलिस सत्यापन में यदि उन्हें किसी अपराध में संलग्न रहना पाया गया तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
7. नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी (Contractual Basis) पर है। तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम–2012 एवं संविदा नियुक्ति नियम–2012 के तहत शासित होंगे।
8. नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

(अब्दुल जाहिद कुरैशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 4509 / एक–13–01 / 2013 **रायपुर, दिनांक 04 नवम्बर 2024**

प्रतिलिपि :–

1. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश कार्यालय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. न्यायालय प्रबंधक, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **श्री वेद प्रकाश साहू,** पिता– श्री तिलक कुमार साहू, पता– सद्गुरू मेडिकल स्टोर्स, लखौली, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन कोड– 491441
6. **श्री विकास देवांगन** पिता– श्री अश्वनी देवांगन, पता– संजय नगर, शिक्षक कॉलोनी, कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.) पिन कोड– 493663
7. लेखापाल / लेखा लिपिक / प्रेषक / कार्यालय मोहर्रिर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अब्दुल जाहिद कुरैशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)